उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 39/2021/ 322प्र0स0/92-2-2021-33जांच/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 03 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2016 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-109/2018/2088/92-2-2018-33जांच/2018 दिनांक 10-08-2018 द्वारा श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-सम्भल को आरोप पत्र देते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मुरादाबाद द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्या शासन में अपने पत्र सं0-1470/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/जांच-चन्द्रवीर सहा0अभि0, तत्का0-मेरठ सम्प्रति-सम्भल/2018-19 दिनांक 30.01.2019 से उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में पूर्णरूप से प्रमाणित पाये गये आरोप सं0-1, 2 व 3 के संबंध में शासन के पत्र दि0 11.02.2019 से अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली से अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 06.06.2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री चन्द्रवीर के अभ्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 17.06.2019 के द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता से आख्या मॉगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 26.08.2019 व दि0 28.11.2019 द्वारा आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। शासन के पत्र दिनांक 05.12.2019, दिनांक 18.12.2019, 03.01.2020, दि0 28.01.2020, दि0 12.05.2020, दि0 08.06.2020, दि0 23.06.2020, दि0 23.06.2020, दि0 21.08.2020, दि0 19.01.2021, दि0 19.03.2021 से ठेकेदार तथा अंतर्ग्रस्त अवर अभियंता के विरूद्व कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 22.01.2020 द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 06.01.2020 से ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की आख्या तथा पत्र दिनांक 22.05.2021 से अन्तर्ग्रस्त अवर अभियंता, श्री शालभद्र कुमार जैन के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.05.2021 द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय से अवगत कराया गया। शासन के पत्र दिनांक 03.08.2021 से श्री चन्द्रवीर के विरूद्व आरोप सं0-1 तथा आरोप संख्या-2 मेंपरिलक्षित शासकीय क्षति के संबंध में पुन: आख्या निदेशक एवं मुख्य अभियंता से मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 11.08.2021 से आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल 03 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, शासकीय क्षति के संबंध में प्राप्त निदेशक एवं मुख्य अभियंता की आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत निर्माण कार्य जिसमें ठेकेदार द्वारा पुरानी टाइल्स के स्थान पर रबड मोल्ड इण्टरलांकिग टाइल्स लगाकर मार्ग का पुन: निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में विशिषटियों के अनुरूप एवं संतोषजनक है जिसमें किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित नहीं पायी गयी, परन्तु अपचारी अधिकारी, श्री चन्द्रवीर को निर्माण कार्यो में शिथिलता/लापरवाही बरतने के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके लिये वे उत्तरदायी है अत: श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-109/2018/2088/92-2-2018-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

33जांच/ 2018 दिनांक 10-08-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये कार्यवाही समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा निर्माण कार्यो में लापरवाही/शिथिलता बरतने हेतु उन्हें परिनिन्दा का दण्ड दिया जाता है। "

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2021/ 322प्र0स0 (1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।